कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद हेतु भर्ती परीक्षा 2013 में आरक्षित सूची से चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.भ./2013–16 दिनांक 13.04.2017 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप पृष्ठांकित सूची में अंकित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.–2 (9300–34800) ग्रेड पे 3600 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई. (तीन वर्षीय पाठयक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेगें। यदि ऐसे किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है, तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
6. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे।

1897

8. धौलपुर/भरतपुर जिले का जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क–2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9)कार्मिक/क–2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछडा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने संबंधी दिशा निर्देशों के क्रम में यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछडा वर्ग के चयन वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित हैं एवं नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
10. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एतद्विषयक माननीय उच्च न्यायालय/विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन, विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुए की गई है।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रपत्र में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
13. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक <u>08.05.2017</u> तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः की निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।

(रतन सिंह यादव)
जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
जयपुर प्रथम, जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/मा/जय/संस्था–2/फाःशाशि.नियुक्ति–2013/2016/238 दिनांक : **26.04.2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
7. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, जयपुर को उनके परिक्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित किये गये अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र तत्काल ही संबंधित विद्यालयों को भिजवाए जाने की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
9. सम्बन्धित आशार्थी (स्पीड पोस्ट द्वारा)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
जयपुर प्रथम, जयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जयपुर प्रथम, जयपुर

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III

क्रमांकः जिशिअ/मा/जय/संस्था–2/फाःशाशि.नियुक्ति–2013/2016/238 दिनांक : 26.04.2017

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थायी पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	R-258	GE,WE	रीना/बजरंग सिंह पी–28, मेजर बन्नेसिंह कॉलोनी, खातीपुरा पुलिया, जिला–जयपुर	14/12/1992	GENF	राउमावि कलवाडा (सांगानेर) जयपुर
2	R-1415	ST,WE	ममता कुमारी मीना/रणजीत सिंह मीना गांव बालकिशनपुरा, पो. लागडियावास वाया सीआरपीएफ कैम्प, लालवास, जिला–जयपुर	02/08/1988	STF	राउमावि ढण्ढ (आमेर) जयपुर
3	R-6	GE	सन्दीप कुमार भारद्वाज/आनन्द प्रकाश भारद्वाज ग्राम पो. रूस्तमपुर बावली, जिला–बागपत (उप्र)	15/07/1980	GENM	राउमावि जयसिंहपुरा (कोटपूतली) जयपुर
4	R-11	GE	शैलेन्द्र सिंह राठौड/देवी सिंह राठौड 55, सवाईपाव की बगेची, जनता कॉलोनी, जयपुर	03/10/1990	GENM	राउमावि मौखमपुरा (दूदू) जयपुर
5	R-15	GE	श्याम प्रताप सिंह राठौड/भंवर सिंह राठौड मु.पो. सेवाडी, तह. बाली जिला पाली	12/08/1983	GENM	राउमावि देवलिया (सांभरलेक) जयपुर
6	R-19	GE	कपिल हरितवाल/उमा शंकर शर्मा प्लॉट नं. 1/11 नगरनिगम कॉलोनी, आमेर रोड, जयपुर	09/02/1990	GENM	राउमावि कोथून (चाकसू) जयपुर
7	R-886	SC	मनमोहन उपाध्याय/लक्ष्मीनारायण वर्मा ग्राम लाल्या का बास, पो. महापुरा वाया भांकरोटा, अजमेर रोड, जिला जयपुर	10/09/1985	SCM	राउमावि रसीली (दूदू) जयपुर
8	R-1137	ST	रामकेश मीना/मीठा लाल मीना गांव शंकरपुर डोरका, पो0 नांगलाट त0 टोडाभीम, जिला–करौली	25/12/1988	STM	राउमावि ठिकरिया गुजरान (चाकसू) जयपुर
9	R-1139	ST	दिनेश चन्द मीना/मूलचन्द मीना ई–53ए, सरस्वती नगर, 6 सेक्टर के सामने, मालवीय नगर बाईपास रोड, जयपुर	25/06/1975	STM	राउमावि उरसेवा (दूदू) जयपुर
10	R-1141	ST	रामजीलाल मीणा/मंगला राम मीणा ग्रा0पो0 बासना, वाया–आमेर, त0–जमवारामगढ, जिला–जयपुर	05/07/1982	STM	राउमावि भाभरू (विराटनगर) जयपुर

(रतन सिंह यादव)
जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
जयपुर प्रथम, जयपुर